मु.नं. 24/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वीरेन्द्र सिंह वगै० बनाम राज. सरकार
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। आवेदक प्रार्थी उपखण्ड प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आदेश निर्णय में पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

1/3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 24 / 2023

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र नत्थी सिंह जाति जाट निवासी मदरियापुरा तहसील उच्चैन।
2. रणजीत सिंह पुत्र हुब्बलाल निवासी मदरियापुरा तहसील उच्चैन।
3. रविन्द्र सिंह पुत्र चन्दनसिंह निवासी मदरियापुरा तहसील उच्चैन।

..................प्रार्थीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

दिनांकः—26.11.2024

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 70 / 0.16है0 बाके ग्राम मदरियापुरा तहसील उच्चैन में स्थित है उक्त आराजी का पुराना खसरा नम्बर का रकवा 0.01 विस्वा है तथा उक्त खसरा नम्वर सावलिया पुत्र कारे जाति जाटव निवासी मदरियापुरा गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है लेकिन दौराने सैटलमेंन्ट उक्त आराजी का नया खसरा नम्बर 70 वनाया गया और उक्त आराजी का रकवा 0.01 विस्वा के स्थान पर 0.16है0 गलत दर्ज कर दिया तथा दौराने सैटलमैन्ट एक राजस्व नक्शा भी तैयार कर दिया जो कि नई जमाबन्दी में गलत दर्ज रकवे के अनुसार 0.16है0 में तैयार किया था उक्त दौराने सैटलमैन्ट जो नया राजस्व नक्शा तैयार किया गया है वो गांव मदरियापुरा की आवादी भूमी में तैयार किया गया है जिससे गांव मदरियापुरा की आवादी भूमी का रकवा कम हो जाता है तथा कृषि भूमी का रकवा वढ जाता है यह तथ्य इस वात से प्रमाणित है कि गांव मदरियापुरा की कृषि भूमी का रकवा मुताविक जमावन्दी एवं मिसल के 519 बीघा 13 विस्वा है उक्त मदरियापुरा के कृषि भूमी का रकवा वढ कर के अव वर्तमान में 520 बीघा 12 विस्वा हो गया है यदि उक्त रकवे को 520 बीघा 12 विस्वा माना जाता है तो गांव मदरियापुरा का आवादी रकवा 0.19 बीघा कम हो जाता है जैसा की सैटलमैन्ट में पूर्व गांव मदरियापुरा का जो गैरखातेदार का रकवा है वो

Rahul Shrivastava
26/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

है 0.01 विस्वा और वो सावलिया पुत्र कारे के नाम दर्ज रिकार्ड है लेकिन सैटलमैन्ट बाद गांव मदरियापुरा का गैरखातेदार का रकवा 0.16है0 यानि कि 0.19 विस्वा बढा दिया गया है और जब उक्त रकवा गैरखातेदार का 19 विस्वा बढ जाता है तो गांव मदरियापुरा की आबादी भूमि का रकवा कम हो जाता है। जब हम प्रार्थीगण को दौराने सैटलमैन्ट तैयार किये गये उक्त रिकार्ड की जानकारी हुई तो हम तहसीलदार उच्चैन के पास उक्त अशुद्धि को शुद्ध कराने के लिये गये तो तहसीलदार उच्चैन के द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि दौराने सैटलमैन्ट राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 70 का रकवा जो कि 0.16है0 गलत दर्ज कर दिया गया है उसे पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार 0.16 के स्थान पर 0.01है0 किया जावे एवं पुराने राजस्व नक्शे के अनुसार नक्शा सही किया जाकर रिकार्ड दुरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को जबाव पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मदरियापुरा में मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2075–2078 में खसरा नम्बर 70 रकवा 0.16है0 किस्म गैर मुमकिन में सामलिया पुत्र कारे जाति जाटव सा.देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है जबकि जमाबन्दी सम्बत् 2068–71 व 2072–75 में खसरा नम्बर 242/52 रकवा 0.01बीघा किस्म गै0मु0 में सामलिया पुत्र कारे कौम जाटव सा.देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं बन्दोबस्त विभाग के मिलान खसरा में पुराना खसरा नंम्बर 52/2 मि. रकवा 1 बीघा का नया खसरा नम्बर 70 रकवा 0.16है0 है। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी में गैर खातेदार सावरिया पुत्र कारे के करवे को सैटलमैन्ट विभाग के द्वारा 0.01 विस्वा से 0.16है0 दर्ज रिकार्ड कर दिया है एवं उसी के अनुसार राजस्व नक्शा तैयार कर दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण के आबादी भूमी के मकान को भी उक्त खातेदार के हिस्से में राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है जो कि खिलाफ मौका एवं कानून है दौराने सैटलमैन्ट राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में हुई अशुद्धि को शुद्ध किया जाकर खसरा नम्बर 70 का रकवा 0.16है0 के स्थान पर 0.01है0 किया जावे एवं उसी के अनुसार राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जावे।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्बत् 2012 लगा0 2072 तक उक्त आराजी का रकवा 0.01 विस्वा दर्ज है जो कि दौराने सैटलमैन्ट सहवन से 0.01विस्वा के स्थान पर 0.16है0 गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 70/0.16है0 बाके ग्राम मदरियापुरा का क्षेत्रफल राजस्व नक्शे में 0.16है0 के स्थान पर 0.01है0 शुद्ध किया जाकर शेष रकवा ग्राम मदरियापुरा की आबादी भूमी में शामिल करते हुये आवादी का

Rahulgutaea
उपखण्ड अधिकारी 26/11/24
उच्चैन (भरतपुर)

3/3

कवा दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम की जावे। इस बाबत् तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Shrivastava 26/11/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)